2012/0013

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी: श्री वासुदेव मालावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 456 / 2012 (अपील)

उनवान

1.अशोक कुमार } पिसरान जुगल किशोर जाति ब्राम्हण, निवासी गेंता
2.संजय नन्दवाना } तहसील पीपल्दा
3. अमिता } पुत्रियां जुगल किशोर जाति ब्राम्हण निावासीगण गेंता
4. अल्का } तहसील पीपल्दा
5. पूर्णिमा }

(अपीलाण्ट)

बनाम

1. लोकेश कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद नन्दवाना निवासी गेंता, तहसील पीपल्दा जिला कोटा
2. राजस्थान सरकार, जर्ये तहसीलदार पीपल्दा

(रेस्पोडेण्ट)

उपस्थित :– 1. श्री श्यामलाल सुमन (अभिभाषक अपीलाण्ट)
2. श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी (अभिभाषक रेस्पोडेण्ट नं01)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
बनाराजगी नामान्तरकरण संख्या 231 दिनांक 29.12.2010
नायब तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा

निर्णय दिनांक : 17.07.2019

1. अपीलाण्ट की ओर से जर्ये अभिभाषक यह अपील योग्य अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार पीपल्दा के द्वारा नामान्तरकरण संख्या 231 दिनांक 29.12.2010 पर पारित आज्ञा की अप्रसन्नता से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत संक्षेप में इस आशय के साथ प्रस्तुत की गई है कि आदेश नामान्तरकरण जैर अपील योग्य अधीनस्थ न्यायालय न्याय, नियम तथा तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है।

2. अपीलाण्ट की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट की तलबी की गई। रेस्पोडेण्ट कम 1 की ओर से अभिभाषक उपस्थित हुऐ।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट का बहस अपील में कथन है कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेण्ट कम 1 के पक्ष में रेस्पोडेण्ट नं0 2 ने नामान्तरकरण संख्या 231 दिनांक 29.12.2010 को वाके ग्राम इटावा का लोकेश कुमार रेस्पोडेण्ट नं0 1 के नाम तस्दीक करने में कानूनी त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि ग्राम इटावा तहसील पीपल्दा में चन्दाबाई एंव अपीलाण्ट कम 1 व 2 के संयुक्त खाते की आराजी खसरा नम्बर 244, 142 कुल 2 किता रकबा 10.36 है0 भूमि स्थित है, जो पुश्तैनी है, जिसमें सभी वारिसान का बराबर का पैदाईशी हक कानूनन निहित होता है, इसलिऐ चन्दा बाई को अपने हिस्से की कोई बसीयत किसी के हक में करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है, और कानून

के प्रावधानों की अवहेलना करते हुऐ यदि इस प्रकार का कोई दस्तावेज तहरीर किया भी जाता है, तो ऐसे दस्तावेज के आधार पर कोई नामान्तरकरण कानूनन तस्दीक नहीं किया जा सकता है, किन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा वसीयत दिनांक 05.06.2006 के आधार पर जो इन्तकाल रेस्पोडेण्ट नं0 1 के हक में तस्दीक किया है, वह कानूनन अवैध व प्रभाव शून्य होने से निरस्त किऐ जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने वसीयत की कोई जांच नहीं की, न किसी गवाह की कोई साक्ष्य ली। अधीनस्थ न्यायालय ने न तो वारिसान के बारे में जांच की और न अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर दिया। इन्तकाल की प्रक्रिया भी पूरी नहीं की गई और आदेश स्पीकिंग आर्डर नहीं है, जो नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है, उसमें अन्य भूमि का भी नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया गया, तथा वसीयत में रकबा भी गलत अंकित होने के बावजूद भूमि का इन्तकाल खोल दिया, तथा इन्तकाल खोलने के पूर्व न तो कोई जांच की और न किसी की कोई आपतियां ली गई और न वारिसान के सम्बन्ध में जांच की और सरसरी तौर पर जो इन्तकाल तस्दीक किया है, वह विधि विरूद्ध होने से काबिल निरस्तनीय है। भूमि पुश्तैनी है, और उसमें सभी वारिसान का बराबर का पैदाईशी हक निहित है, रामदयाल की पुत्री कमला बाई है, और अपीलाण्ट कम 3 लगायत 5 कमला बाई के पुत्र है, चन्दा बाई ने कभी रेस्पोडेण्ट कम 1 को गोद नहीं लिया और न किसी प्रकार से वह उसका दत्तक पुत्र है, किन्तु इस सम्बन्धित कोई जांच नहीं कर जो इन्तकाल तस्दीक किया गया है, वह विधि विरूद्ध होने से काबिल निरस्तनीय है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने जो इन्तकाल तस्दीक किया, वह गुपचुप रूप से अपीलाण्ट की गैर मौजूदगी में तस्दीक किऐ जाने अपीलाण्ट को उक्त इन्तकाल जैर अपील दिनांक 29.12.2010 की कभी कोई जानकारी नहीं हुई, तथा सर्व प्रथम जानकारी दिनांक 08.06.2012 को पटवारी हल्का के बताने पर हुई, जिस पर उसी दिन इन्तकाल की नकल हेतु आवेदन पत्र अदालत मातहत में पेश किया गया और दिनांक 28.06.2012 को ही नकल प्राप्त होते ही अविलम्ब पैसों का इन्तजाम कर अपील माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की है जो जानकारी की तिथी से अवधि मध्य स्वीकार योग्य है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर आदेश नामान्तरकरण जैर अपील संख्या 231 दिनांक 29.12.2010 निरस्त फरमाया जावे।

5. रेस्पोडेण्ट की ओर से उपस्थित विद्वान अभिभाषक का बहस जवाब में कथन है विवादित आराजी के सम्बन्ध में योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रजिस्टर्ड वसीयत के अनुसार जैर अपील नामान्तरकरण स्वीकार किया गया है। वसीयत रजिस्टर्ड है, जिसके सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का आदेश पारित करने का अधिकार सिविल न्यायालय को है। वसीयत समस्त चल अचल सम्पत्ति की लिखी गई है। विवादित आराजी के सम्बन्ध में नियमित राजस्व वाद अलग से किया गया है। नामान्तरकरण प्रक्रिया सरसरी कार्यवाही है, जिसमें किसी पक्षकार के अधिकारों को तय नहीं किया जा सकता है। लिखी गई रजिस्टर्ड वसीयत सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं की गई है। अपीलाण्ट इन्तकाल की अपील के माध्यम से रजिस्टर्ड वसीयत को चेलेंन्ज नहीं कर सकता है। वसीयत पर गवाहों के हस्ताक्षर है। अपीलाण्ट द्वारा यह अपील नामान्तरकरण संख्या 231 दिनांक 29.12.2010 के सम्बन्ध में प्रस्तुत की गई है, जबकि नामान्तरकरण संख्या 2004 की प्रति अपील के साथ प्रस्तुत की है। नामान्तरकरण सख्या 231 की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है। नामान्तरकरण संख्या 2004 के सम्बन्ध में अपीलाण्ट की अपील मेण्टेनेबल नहीं है। विवादित भूमि के सम्बन्ध में रेस्पोडेण्ट लोकेश कुमार ने विभाजन का वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ईटावा के समक्ष पेश कर दिया है, यदि खातेदार द्वारा की गई वसीयत के सम्बन्ध में अपीलाण्ट को कोई आपत्ति है तो वह वहां पर आपत्ति कर सकते है। नामान्तरकरण की कार्यवाही एक समरी प्रोसिडिंग है, तथा पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण नियमित वाद द्वारा ही संभव हो सकता है। नियमित वाद पेश होने पर नामान्तरकरण की कार्यवाही को कानूनन स्थगित किया जाना आवश्यक है। मृतक खातेदार श्रीमती चन्दा बाई द्वारा नियमानुसार रेस्पोडेण्ट लोकेश कुमार के पक्ष में वसीयत निष्पादित कर उसका पंजीयन भी करवाया गया है, उक्त वसीयत की अपीलाण्ट को प्रारम्भ से ही जानकारी है। उक्त वसीयत को अपीलाण्ट द्वारा आज तक भी किसी न्यायालय में चेलेन्ज नहीं किया है, और न निरस्त करवाने की कार्यवाही की है। उक्त नामान्तरकरण मृतक खातेदारा श्रीमती चन्दाबाई की रजिस्टर्ड

वसीयत के आधार पर सभी की सहमति से खोला गया है, जिसकी अपीलाण्ट को प्रारम्भ से ही जानकारी है। पटवारी हल्का से सर्व प्रथम जानकारी दिनांक 8.6.2012 को होना सर्वथा गलत दर्ज किया है, पटवारी हल्का से क्यों व कैसे जानकारी हुई यह प्रार्थना पत्र में स्पष्ट नहीं किया है, अपीलाण्ट के कथनानुसार उनको नामान्तरकरण की नकल समय पर ही प्राप्त हो गई थी, किन्तु नकल प्राप्त होने के बाद भी कई दिनों तक अपीलाण्ट द्वारा अपील पेश करने का भी समुचित कारण प्रार्थना पत्र में वर्णित नहीं किया गया है। अपील पेश करने में हुई देरी को कण्डोन किऐ जाने का कोई उचित आधार नहीं है। अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाई जावे।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। दौराने बहस विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट की ओर से अपने पक्ष समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त 2010 डीएनजे (एससी) पेज 414, 2015 डीएनजे (एससी) पेज 419, पेज 592 तथा रेस्पोडेण्ट की ओर से आर.आर.टी. 2017(2) पेज 1348, आर.आर.डी. दिस. 2000 पेज 556, मई 2002 पेज 280, आर.आर.टी. 2018(1) पेज 88, 2018(2) पेज 848, 2019(1) पेज 184 प्रस्तुत किऐ गये जिनका भी ससम्मान अवलोकन किया गया।

7. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन करने उपरान्त प्रथमतः यह पाते है कि अपीलाण्ट ने अपील मेमो में नामान्तरकरण संख्या 231 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करना अंकित किया है, जबकि अपील मेमो के साथ नामान्तरकरण संख्या 2004 की प्रंति प्रस्तुत की है। जैर अपील नामान्तरकरण प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन किऐ जाने के सम्बन्ध में युक्तियुक्त संदेह से परे कारण प्रदर्शित नहीं करने से विलम्ब को क्षम्य करने का स्पष्ट आधार प्रकट नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित नामान्तरकरण पजीकृत वसीयत के आधार पर स्वीकार किया गया है। तथा उक्त वसीयत वर्तमान में प्रभावी होना रेस्पोडेण्ट का कथन है। पुश्तेनी आराजी के सम्बन्ध में पंजीकृत वसीयत का बिन्दु जैर अपील नामान्तरकरण की इस कार्यवाही में निर्धारण किया जाना विधि सम्मत नहीं समझते है। नामान्तरकरण की कार्यवाही एक समरी प्रोसिडिंग है, तथा पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण नियमित वाद द्वारा ही संभव हो सकता है। रेस्पोडेण्ट के अनुसार विवादित भूमि के सम्बन्ध में रेस्पोडेण्ट लोकेश कुमार द्वारा विभाजन का वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ईटावा के समक्ष पेश कर दिया जाना बहस में बताया है, यदि खातेदार द्वारा की गई वसीयत के सम्बन्ध में अपीलाण्ट को कोई आपत्ति है तो वह वहां पर आपत्ति कर सकते है। विवादित तथ्यों के सम्बन्ध में अपने अपने अधिकारों का निर्धारण नियमित वाद के माध्यम से ही संभव है, ऐसे में अपीलाण्ट अपने अधिकारों के निर्धारण हेतु नियमित वाद प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। परिणामतः विवादित नामान्तरकरण के लिऐ प्रस्तुत की गई यह अपील स्वीकार किऐ जाने योग्य नहीं पाते है।

8. अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है।

9. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील ताकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

10. निर्णय आज दिनांक 17.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

(वासुदेव मालावत)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा, जिला कोटा